भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1585
(सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

मुखौटा और निष्क्रिय कंपनियों द्वारा पूंजी का अंतरण

1585. श्री प्रवीन खंडेलवालः
क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मुखौटा और निष्क्रिय कंपनियों, जिनका उपयोग पूंजी का अंतरण करने और बार-बार स्ट्राइक-ऑफ अभियानों के बावजूद नियामक जांच से बचने के लिए किया जा रहा है, के मुद्दे की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त निकायों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करने के लिए कोई विश्लेषण आधारित निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वाजिब स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उक्त अनुपालन कार्रवाइयों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों;
(घ) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत छोटी निजी कंपनियों पर लगाई गई अनुपालन संबंधी लागतों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या कोई सरलीकृत, डिजिटल फर्स्ट मार्ग विचाराधीन है; और
(च) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की अनुमानित समयसीमा क्या है?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) "शेल कंपनी" शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भावी परियोजना के लिए अथवा किसी परिसंपत्ति या बौद्धिक संपदा को धारण करने के उद्देश्य से गठित एवं पंजीकृत की गई हो और जिसमें कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेन-देन न हो, ऐसी कंपनी या निष्क्रिय कंपनी, यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार, निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन कर सकती है। यह मंत्रालय, मामले के तथ्यों के आधार पर प्रकरण-दर-प्रकरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(4), 206(5) तथा धारा 210/212 के अंतर्गत क्रमशः जांच, निरीक्षण एवं अन्वेषण के आदेश करता है। यह मंत्रालय उपयुक्त विनियामक कार्रवाई हेतु रेड फ्लैग संकेतकों का भी

उपयोग करता है, जिनमें शून्य/साधारण व्यवसाय, शून्य/अल्प परिसंपत्तियाँ, कंपनी द्वारा पंजीकृत कार्यालय को मेन्टेन न किया जाना आदि जैसी विशेषताएं शामिल हैं।

(ख) एमसीए-21 के अंतर्गत अनुपालनों हेतु रिस्क प्रोफाइलिंग नियम-आधारित विश्लेषणात्मक प्रणाली विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त, एमसीए-21 वी3 के माध्यम से वेब फाइलिंग, सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) मॉड्यूल तथा कंपनी मॉड्यूल जैसी विभिन्न कार्यात्मकताएँ लागू की गई हैं। अब फाइलिंग इस प्रणाली के माध्यम से की जा रही हैं, जो पूर्व में भरे गए मास्टर डाटा के साथ वास्तविक-समय सत्यापन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे डाटा में हेरफेर की संभावना में कमी आई है।

(ग) एवं (घ) सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए विभिन्न उपायों के माध्यम से लघु कंपनियों एवं स्टार्ट-अप के लिए अनुपालन लागत में रियायत प्रदान की गई है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपाय परिशिष्ट-I में दिए गए हैं।

(ङ) एवं (च) एमसीए-21 प्रणाली के अंतर्गत सेवा डिलीवरी एवं अनुपालन तंत्र पहले से ही डिजटल रूप में परिवर्तित है। प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण उपाय अनुलग्नक-II में उल्लिखित हैं।

******

अनुलग्नक -I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1585 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में

लघु कंपनियों के लिए व्यापार करने में सुगमता हेतु महत्वपूर्ण उपाय

क्र.सं.	धारा	विषय	लघु कंपनियों को समर्थन प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान
	धारा 2(40) - परंतुक	वित्तीय विवरण	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नकद प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट) प्रस्तुत करने की आवश्यकता को वैकल्पिक बनाया गया है।
2.	धारा 92(1) - उपबंध	वार्षिक रिटर्न	(i) कंपनी सचिव द्वारा अथवा जहाँ कंपनी सचिव न हो, वहाँ कंपनी के किसी निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना। (ii) लघु कंपनियों के लिए विहित संक्षिप्त वार्षिक रिटर्न।
3.	92 (1) (छ)	वार्षिक रिटर्न में निदेशकों के पारिश्रमिक का प्रकटीकरण	निदेशकों द्वारा आहरित पारिश्रमिक की कुल राशि का प्रकटीकरण लघु कंपनियों के लिए पर्याप्त है।
4.	**धारा** 134(3**क**)	बोर्ड की रिपोर्ट	लघु कंपनियों के लिए विहित संक्षिप्त बोर्ड रिपोर्ट।
5.	कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 139(2)	लेखा-परीक्षकों का रोटेशन	लघु कंपनियों में लेखा-परीक्षकों का रोटेशन अनिवार्य नहीं है।
6.	141(3) (छ)	लेखा-परीक्षकों की संख्या पर प्रतिबंध	अधिकतम लेखा-परीक्षकों की संख्या से संबंधित प्रतिबंध लघु कंपनियों के लेखा-परीक्षकों पर लागू नहीं होते।
7	143 (3) (झ)	लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रकटीकरण	ये प्रकटीकरण लघु कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

8.	173 (5)	बोर्ड की बैठकें	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक 120 दिनों में कम से कम एक बार तथा वर्ष में कुल 4 बार आयोजित की जानी आवश्यक है। तथापि, लघु कंपनी के मामले में, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक छमाही में एक बोर्ड बैठक तथा दो बैठकों के बीच न्यूनतम 90 दिनों का अंतर होना, कंपनी अधिनियम की धारा 173(5) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।
9.	446ख	कमतर दंड	धारा 446ख के अनुसार लघु कंपनियाँ कमतर दंड के पात्र हैं।
10.	नियम 8(12)(क)	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय एवं शुल्क) संशोधन नियम, 2014	लघु कंपनियों को पेशेवरों द्वारा प्ररूपों के पूर्व-प्रमाणीकरण की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।
11.	अनुलग्नक- शुल्क सारणी	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय एवं शुल्क) संशोधन नियम, 2014	लघु कंपनियों के लिए कमतर शुल्क निर्धारित किया गया है।
12.	खंड 1(2)(iv)	कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीऐआरओ 2020)	कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीऐआरओ 2020) लघु कंपनियों पर लागू नहीं होता है।

स्टार्ट-अप के लिए व्यवसाय करने की सुगमता हेतु महत्पवूर्ण

क्र.सं.	**धारा/नियम**	**विषय**	**स्टार्ट-अप को समर्थन देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान**
1.	धारा 2(40)	वित्तीय विवरण	स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने के लिए नकदी प्रवाह विवरण की आवश्यकता वैकल्पिक है।
2.	धारा 73(2) खंड (क) से (ङ)	जमा की स्वीकृति	स्टार्ट-अप को अपने सदस्यों से जमा स्वीकार करते समय प्रक्रियात्मक अनुपालन से छूट प्रदान की गई थी (जैसे कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, क्रेडिट रेटिंग को दर्शाते हुए अपने सदस्यों को एक परिपत्र जारी करना, परिपक्व जमा राशि का 20% जमा करना, और पुनर्भुगतान में चूक के संबंध में प्रमाणन)।
3.	धारा 92(1)	वार्षिक रिटर्न	एक स्टार्ट-अप के निदेशकों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर करने की अनुमति है यदि कंपनी के पास कंपनी सचिव नहीं है।
4.	धारा 173(5)	बोर्ड की बैठकें	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कंपनी के निदेशक मंडल को 120 दिनों में कम से कम एक बार, एक वर्ष में 4 बोर्ड बैठकें करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, स्टार्ट-अप को त्रैमासिक बोर्ड बैठकें आयोजित करने से छूट दी गई है और उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में दो बोर्ड बैठकें अर्थात हर छह महीने में एक बार, आयोजित करने की अनुमति है।
5.	कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का नियम 6	ओपीसी का सार्वजनिक और निजी कंपनियों में रूपांतरण	इस शर्त को हटा दिया गया था कि ओपीसी को अपनी चुकता पूंजी 50 लाख रुपये से अधिक होने और उसका औसत वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक होने के बाद खुद को परिवर्तित करना होगा। चूंकि कई स्टार्ट-अप एकल व्यक्ति कंपनी हैं, इसलिए यह उन्हें ओपीसी के रूप में स्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है।

6.	कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर)नियम, 2014 का नियम 8(4)	स्वेट इक्विटी	सामान्य तौर पर, किसी कंपनी में स्वेट इक्विटी शेयर जारी करना किसी भी समय कंपनी की चुकता पूंजी के 25% से अधिक नहीं होगा। तथापि, स्टार्ट-अप के मामले में, यह सीमा इसकी चुकता शेयर पूंजी के 50% तक है।
7.	कंपनी (शेयर पूंजी और और डिबेंचर) नियम 2014, का नियम 12(1)(ग)	कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी)	सामान्य तौर पर, ईएसओपी उस कर्मचारी को नहीं दिया जाता है जो प्रवृतक या प्रवृतक समूह से संबंधित व्यक्ति है और एक निदेशक जो या तो स्वयं या अपने रिश्तेदार या कारपोरेट निकाय के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की 10% से अधिक इक्विटी रखता है। स्टार्ट-अप को प्रवृतकों और निदेशकों को ईएसओपी जारी करने की अनुमति है।
8.	कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014, नियम 2 (1)(ग)	परिवर्तनीय नोट	स्टार्ट-अप एक व्यक्ति से एक ही किश्त में परिवर्तनीय नोट के माध्यम से (इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या जारी होने की तारीख से दस साल की अवधि के भीतर चुकाने योग्य) 25 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह के लेनदेन को जमा नहीं माना जाता है।
9.	कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का नियम 3 (3)	जमा की स्वीकृति	कंपनियां आमतौर पर अपने सदस्यों से किसी भी जमा को स्वीकार या नवीनीकृत कर सकती हैं जो कंपनी के चुकता शेयर पूंजी, फ्री रिजर्व और प्रतिभूति प्रीमियम खाते के 35% से अधिक नहीं है। लेकिन स्टार्ट-अप को राशि पर किसी भी प्रतिबंध के बिना सदस्यों से जमा स्वीकार करने की अनुमति दी गई है।

अनुलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1585 के भाग (ङ) एवं (च) के उत्तर में

1. 54 से अधिक प्ररूपों को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) में परिवर्तित किया गया जिसके लिए पहले क्षेत्रीय कार्यालयों की स्वीकृति आवश्यक थी।
2. कंपनी निगमन प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीकृत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (सीआरसी) की स्थापना की गई।
3. ई-प्ररूपों की केंद्रीकृत संवीक्षा हेतु केंद्रीय संवीक्षा केंद्र (सीएससी) की स्थापना की गई।
4. निर्दिष्ट गैर-एसटीपी ई-प्ररूपों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण हेतु केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना की गई।
5. कंपनी अधिनियम से संबंधित अपराधों के (फेसलेस) न्यायनिर्णयन हेतु ई-न्यायनिर्णयन पोर्टल की स्थापना की गई।
6. कंपनी के निगमन के समय ही व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ई-प्ररूप स्पाइस+, इससे संबद्ध एजाइल प्रो-एस प्ररूप के साथ, प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन का आवंटन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी संख्या, बैंक खाता खोलना आदि सेवाएं सम्मिलित हैं। इसी प्रकार, नया ई-प्ररूप फिलिप (फॉर्म फॉर इनकारपोरेशन ऑफ़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से एक ही ऐल्पीकेशन में समान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।